बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

स्नातक स्तरीय प्रथम प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2010

विज्ञापन संख्या-110/2010

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि-26.07.2010

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-7/च0प0-208/98का0/2741 दिनांक-25.03.2010 द्वारा स्नातक स्तरीय प्रथम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2010 में आयोजित करने हेतु संसुचित की गई सहमति के क्रम में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो/पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति हेतु संबंधित विभागों द्वारा संसुचित रिक्तियों के विरूद्ध भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । उम्मीदवार अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत, आवेदन पत्र समर्पित करेंगे । संबंधित विभागों से प्राप्त अद्यतन रिक्तियां निम्नवत है ।

प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2010 हेतु विभिन्न पदों का प्राप्त अधियाचना के अनुसार विभागवार विवरणी												
क्रम सं0	विभाग का नाम	पद का नाम	पद कोड	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	आरक्षणवार पदों की स्थिति						कुल
						अनु0 जाति	अनु0जन0 जाति	अत्यन्त पि0वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पि0वर्ग की महिला	सामान्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार	सचिवालय सहायक, संवर्ग-राज्य स्तरीय	01	पे0 बैंड-9300-34800+ग्रेड पे0 4600	स्नातक	166	10	186	124	31	517	1034
2	उद्योग विभाग, बिहार	उद्योग विस्तार पदाधिकारी, संवर्ग-राज्य स्तरीय	02	पे0 बैंड-9300-34800+ग्रेड पे0 4200 (5000-8000 पूराना)	वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में स्नातक न्यूनतम प्राप्तांक-45%	13	01	14	10	02	41	81
3	उद्योग विभाग, बिहार	कनीय सांख्यिकी सहायक, संवर्ग-राज्य स्तरीय	03	पे0 बैंड-9300-34800+ग्रेड पे0 4200 (5000-8000 पूराना)	वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में स्नातक न्यूनतम प्राप्तांक-45%	03	-	04	02	01	10	20
4	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार	आपूर्त्ति निरीक्षक, संवर्ग-राज्य स्तरीय	04	5000-8000 (अपुनरीक्षित)	स्नातक	41	07	47	30	16	125	266
5	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार	प्रखण्ड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी, संवर्ग-राज्य स्तरीय	05	पे0 बैंड-9300-34800+ग्रेड पे0 4200	कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक डिग्री	25	01	25	18	04	70	143
6	श्रम संसाधन विभाग, बिहार	श्रम कल्याण पदाधिकारी (पर्यवेक्षकीय), संवर्ग-राज्य स्तरीय	06	पे0 बैंड-II-9300-34800+ग्रेड पे0 4200	स्नातक	01	01	-	01	-	02	05
7	श्रम संसाधन विभाग, बिहार	महिला समाज आयोजिका (केवल महिलाओं के लिये), संवर्ग-राज्य स्तरीय	07	पे0 बैंड-5200-20200+ग्रेड पे0 2400	स्नातक	04	01	02	-	01	05	13
8	श्रम संसाधन विभाग, बिहार	सांख्यिकी संगणक, संवर्ग-राज्य स्तरीय	08	पे0 बैंड-5200-20200+ग्रेड पे0 1900	गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र विषय में स्नातक	01	01	02	02	-	01	07
					योग-	**254**	**22**	**280**	**187**	**55**	**771**	**1569**

उपर्युक्त रिक्तियां औपबंधिक है, जो घट-बढ सकती है । मुख्य परीक्षा के पूर्व विभागों से प्राप्त होनेवाली अन्य पदों को भी इस परीक्षा में शामिल किया जा सकेगा जिसकी सूचना मूख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के पूर्व प्रकाशित की जाएगी ।

2. उपर्युक्त पदों हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ समेकित रूप से आयोजित की जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक ही आवेदन भरा जायेगा । प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुन: ससमय आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे । प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है ।

3. मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन देते समय सभी परीक्षार्थियों से उपलब्ध पदों के लिए अधिमान्यता का विकल्प की मांग आवेदन में की जाएगी । अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा ।

4. शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त होना चाहिए । सांख्यिकी संगणक के लिए गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र के साथ स्नातक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी तथा कनीय सांख्यिकी सहायक (उद्योग विभाग, बिहार) के लिए वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ स्नातक उपाधि एवं प्रखण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण पदाधिकारी हेतु कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा ।

5. आयु सीमा- उम्र की गणना दिनांक-01.08.2009 के आधार पर की जायेगी ।

(i)(a) न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष

(b) अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होनी चाहिए:-1. बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र के निवासियों के लिए (सभी कोटि)-37 वर्ष । 2. बिहार के स्थायी निवासियों के लिए उम्र सीमा निम्न प्रकार है:-सामान्य (पुरूष)-37 वर्ष, अनु0जाति/अनु0जन-जाति-(पुरूष/महिला)-42 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-(पुरूष/महिला)-40 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला-40 वर्ष ।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.07 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य होगा ।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62 दिनांक-05.01.07 के आलोक में विकलांगो को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य होगा ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिको को उम्र सीमा में 3 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक न हो ।

कंडिका-5(II) एवं (IV) हेतु सरकारी सेवा/सैन्य सेवा से संबंधित उम्मिदवार उम्रक्षांति/आयु सीमा में छूट के लिए अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष से अनुशंसा अंकित करायेगें एवं उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । साथ ही कंडिका-5(I) एवं (III) हेतु क्रमश: कंडिका-6(III) एवं 7(II) में दिये गए निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

6. आरक्षण:-(i) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।

(ii) आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को देय होगा । बिहार राज्य के बाहर के निवासी-अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नही होगा ।

(iii) बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे । मात्र उन्ही उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी है ।अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हो को आरक्षण का लाभ नही मिलेगा । वे सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे । बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार जो अनु0जाति/जन-जाति के भी है के पास आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए । बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार जो अत्यन्त पिछड़े वर्ग/पिछड़े वर्ग के है के पास गृह जिला के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर-समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (क्रिमीलेयर में नही होने से संबंधित) होना चाहिए ।

7. आवेदन पत्र को भेजना:- (i) प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन भरते समय किसी भी प्रमाण-पत्र को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) मुख्य परीक्षा का आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित यथा मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, स्नातक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि की अभिप्रमाणित छाया प्रति मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे । जन्म तिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिक का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करेंगे । शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी न्यूनतम् विकलांगता 40 प्रतिशत होने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेंगे । आवेदक को सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे ।

8. मेधासूची- (i) प्रारंम्भिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध (अधियाचित) रिक्तियों के लगभग 5 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराने के उदेश्य से किया जायेगा और मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही पदवार एवं कोटिवार मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा ।

(ii) मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी एवं तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी ।

9. परीक्षाएँ दो चरणों में ली जाएँगी:-

(क) प्रारंभिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

इस परीक्षा के लिए संवीक्षा के बाद यदि आवेदन पत्रों की संख्या 40,000 (चालीस हजार) से कम होगी तो प्रारंभिक परीक्षा नही लिये जाने के संबंध में आयोग विचार करेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

10. प्रारंभिक परीक्षा-(i) प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान (प्रारंभिक) का प्रश्न पत्र होगा । परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:-

(क) सामान्य अध्ययन-प्रश्नों की संख्या-50 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित-प्रश्नों की संख्या 50 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच-प्रश्नों की संख्या 50 होगी ।

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 04 (चार) अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी ।

(ii) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी ।

(iii) सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा ।

(iv) प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जायेगी यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते है । प्रत्येक खण्ड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी । हस्तलिखित/छाया प्रति ले जाने की अनुमति नही होगी । पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण परीक्षा भवन मे ले जाना वर्जित होगा ।

(v) **प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा :-**

खंड (क) -: सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा । वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है ।

(i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:- पडोसी देशो का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

खंड-(ख):- सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यत: मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :-

(i) सामान्य विज्ञान:-भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल ।

(ii) गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि ।

खंड:- (ग) मानसिक क्षमता जाँच:-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कुट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संकल्प ज्ञापांक-15838 दिनांक-22.12.1990, 10258, दिनांक-05.08.1991 एवं 2374 दिनांक-16.07.07 के आलोक मे प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 36.5 (साढे छत्तीस) प्रतिशत अ0पि0वर्ग के लिए 34 (चौतीस) प्रतिशत तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

12. मुख्य परीक्षा- मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे :-

(क) प्रश्न पत्र 1-विषय हिन्दी:-

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

(ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नही की जायेगी । जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नही करेंगे

उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय (सामान्य ज्ञान (मुख्य) (प्रश्न पत्र-2) का मूल्यांकन नही किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नही समझे जायेंगे ।

(iii) प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा ।

(iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या-100 होगी । प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी ।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी ।

(ख) **प्रश्न पत्र 2-विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) :-**

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविल्कपीय होंगे ।

(ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान (मुख्य) में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:-

(क) सामान्य अध्ययन-प्रश्नों की संख्या 50 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित-प्रश्नों की संख्या 50 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच- प्रश्नों की संख्या 50 होगी ।

(iii) सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/ अंग्रेजी होगा ।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी ।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट होगी ।

13. वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो । उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

14. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

प्रश्न पत्र -1: विषय हिन्दी (मुख्य):-

इस प्रश्न-पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक (सेकेन्डरी) स्तर के होंगे । इस परीक्षा के प्रश्न, हिन्दी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोधशक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे । जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण, समानार्थक शब्द/विपरीतार्थक शब्द, हिन्दी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिन्दी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे ।

प्रश्न पत्र-2: विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य):-

खंड (क):-(i) सामान्य अध्ययन:- सामान्य अध्ययन- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करनी होगी । वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है

(ii) सम सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनायें ।

(iii)भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलने, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख

विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

खंड (ख):-(i) सामान्य विज्ञान एवं गणित (मुख्य):- इसमें सामान्यत: मैट्रिक स्तर से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :-

सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल ।

(ii) गणित:-(मुख्य) इसमें सामान्यत: मैट्रिक स्तर से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकेते है:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि ।

खंड (ग):- मानसिक क्षमता जाँच:- इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला, गैर-शाब्दिक श्रृखंला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

15. **प्रविष्टि:**

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210×297 मिमी0) के मोटे कागज पर आयोग की वेबसाईट http://bssc.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है । आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए । **निर्धारित प्रपत्र से अलग, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे । इस विज्ञापन से संलग्न आवेदन पत्र की छाया प्रति उपरोक्त निदेशित आकार के कागज पर कर उसे व्यवहार में आप ले सकते हैं।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें । चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अत: यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन / परिवर्तन / ओवरराइटिंग नहीं हो । आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन-पत्र में रिक्त गोल जगहों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें -●; अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये गोलों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यथा - ⊗ ◐ O इत्यादि मान्य नहीं होंगे ।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उस पर लागू न हो, उसे (×) कर दें ।

(v) **क्रमांक 8 ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन** 'प्राप्तांक'/'पूर्णांक' **एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें ।**

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके ।

16. **फोटोग्राफ:**

आवेदन-पत्र के पृ0 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़ी गई खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरश: पालन करें । **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें । गोंद**

से अच्छी तरह चिपकाएँ । उम्मीदवार के दोनों फोटो, हाल के, एक ही निगेटिव से बने होने चाहिए । अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है ।

17. **<u>लिफाफा:</u>**

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं प्रतियोगिता परीक्षा का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करें । साथ ही उसपर अपने पत्राचार का पूरा पता अंकित करें ।

(ii) विहित आवेदन के साथ किसी प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न नहीं करें ।

(iii) 16×10 से0मी0 का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक एवम् प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु) जिनपर 25-25 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन के साथ संलग्न करें ।

18. **<u>आरक्षण:</u>**

(i) आवेदन में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । आरक्षण कोटि के अधीन 'पिछड़ी महिला' (कोटि 05) की उम्मीदवार अपनी मूल आरक्षण कोटि (01/02/03/04, जो लागू हो) के रिक्त गोला को भरने के साथ ही 'पिछड़ी महिला' (05) के रिक्त गोला को भी भरें, अन्यथा वे आरक्षण के लाभ से वंचित की जा सकती हैं ।

(ii) आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को देय है ।

(iii) **विहित आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के आवेदन की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे ।**

<u>19. परीक्षा शुल्क:-</u> परीक्षा शुल्क के रूप में सामान्य, अंत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के उम्मीदवार को 200/- (दो सौ) रू0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर तथा अनु0 जाति/अनु0 जन-जाति के लिए 50/- (पचास) रू0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा , जो **सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, के पदनाम से होगा और जी0 पी0 ओ0, पटना में भुगतेय होगा ।** यह राशि लौटायी नही जायेगी । पोस्टल ऑर्डर संख्या का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में करना अनिवार्य होगा ।

<u>20. अन्य आवश्यक निर्देश:-</u> (i) आयोग आवेदन पत्रों की स्क्रुटिनी विस्तृत रूप से नहीं करायेगा । जिन आवदकों के आवेदन पत्र संक्षिप्त परीक्षण में रद्द कर दिये जायेंगे उनको छोड़ कर शेष सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार करते हुए आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी । परीक्षा के उपरान्त उनके आवेदन पत्रों/अर्हत्ताओं की जाँच की जायेगी ।

(**ii**) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन-पत्र भरा होना चाहिए । आवेदक आवेदन पत्र के निर्धारित स्थानों पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे । आवेदन पत्र के निर्धारित स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर नही रहने पर आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा ।

(**iv**) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है ।

(**v**) **<u>जन्म तिथि:-</u>** आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महिना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें ।

(**vi**) आवेदक आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता या पति का नाम, पत्राचार का संपूर्ण एवं स्पष्ट पता भरेंगे तथा अपना हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर करेंगे । आवेदन पत्र में किसी प्रकार का पुनर्लेखन (Overwriting), काट–कूट (Cutting), विलेखन (Erasing) होने पर आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा ।

(**vii**) अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि में ही अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरें ।

21. **<u>अंतिम तिथि:</u>**– भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें ताकि दिनांक–26.07.2010 (सोमवार) को संध्या 6.00 बजे तक सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो0– वेटनरी कॉलेज, पटना–800014 को अवश्य प्राप्त हो जाये । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा ।

22. **<u>अन्यान्य:</u>**–अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा और शुल्क वापस नही किया जायेगा ।

सचिव,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना
स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु आयोग कार्यालय में — विज्ञापन संख्या ______

प्राप्ति की तिथि ______

अनुक्रमांक- ______

(1) (i) **नाम** **हिन्दी में** ______

अंग्रेजी में ______

(ii) **पिता का नाम** ______

(iii) **पति का नाम** ______

(iv) **जन्म तिथि(अंकों में)** दिन | | महीना | | वर्ष | | | |

(शब्दों में) ______

(v) **दिनांक-01.08.2009 को उम्र** वर्ष | | महीना | | दिन | |

(vi) **लिंग** स्त्री ○ पुरूष ○

(2) (i) **क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं? हाँ** ○ **नहीं** ○

(ii) **यदि हाँ तो संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्त गोला को भरें :-**

(1) अनुसूचित जाति ○ (2) अनुसूचित जन-जाति ○ (3) अत्यंत पिछड़ा वर्ग ○

(4) पिछड़ा वर्ग ○ (5) पिछड़ी महिला ○

(iii) **आपके संबंधित आरक्षित वर्ग के अधीन आपकी संबंधित जाति का नाम** ______

(3) (i) **स्थायी अधिवास का पता** ______

______

______

जिला ______ **पिन कोड** ______ **राज्य** ______

(ii) **दूरभाष संख्या** ______ **/मोबाईल** ______ **/ ई-मेल** ______

(एस.टी.डी.कोड सहित)

पूरा नाम एवं पत्राचार का पता

नाम...

पता...

....

....

....

जिला......................... राज्य ....

पिन | | | | | | |

पासपोर्ट आकार का हाल का अपना फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उसपर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें ।

आवेदक का हस्ताक्षर **अंग्रेजी में** ______

हिन्दी में ______

04. (i) क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? हाँ ○ नहीं ○
(ii) यदी हाँ तो विकलांगता का स्वरूप अंकित करें [ ]
(iii) अंकित विकलांगता का प्रतिशत [%]

05. (i) क्या आप भारत के नागरिक हैं? हाँ ○ नहीं ○

(ii) वैवाहिक स्थिति विवाहित ○ अविवाहित ○

(iii) क्या आप हिन्दी लिखना-पढ़ना जानते/जानती हैं ? हाँ ○ नहीं ○

(iv) (क) क्या आप बिहार सरकार के सेवक हैं ? हाँ ○ नहीं ○

(ख) यदि हाँ तो पदनाम [ ] कार्यालय [ ] स्थान [ ]

(ग) क्या सेवा सम्पुष्ट हो चुकी है ? हाँ ○ नहीं ○

(घ) यदि हाँ तो सम्पुष्टि की तिथि

दिन			महीना			वर्ष				

(v) क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? हाँ ○ नहीं ○

06. क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक/न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं? हाँ ○ नहीं ○

07. राज्य स्थायी अधिवास बिहार ○ अन्य ○

08. शैक्षणिक योग्यता

उत्तीर्ण परीक्षा	संकाय/ विषय	सत्र वर्ष	उत्तीर्णता	संस्थान	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
प्रवेशिकोतीर्ण							
इन्टरमीडिएट/+2							
स्नातक सामान्य / प्रतिष्ठा							

09. पूर्व/वर्त्तमान नियोजन का विवरण

पद का नाम	स्थायी/ अस्थायी	पदभार ग्रहण करने की तिथि	पद त्याग करने की तिथि	पद त्याग का कारण	वेतन	नियुक्ति पदा0 (पदनाम)

10. क्या इसके पूर्व किस प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार के कारण आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से वंचित किया गया है यदि हाँ तो उसका विवरण:-

संबंधित आयोग का नाम	परीक्षा का नाम	अनुक्रमांक	वर्ष	वंचित होने का कारण	वंचित होने की अवधि कब से कब तक

11. उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिह्न :

12. आई0पी0ओ0 से जमा किये गये परीक्षा शुल्क का विवरण : (जो मूल में अनुलग्न करें)

क्रमांक	जारी करने वाले डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा का नाम	आई0पी0ओ0 संख्या	जारी करने की तिथि	राशि	
				रू0	पै0

घोषणा

मैं एदत् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही है । मैने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है । फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होउँगा/होउँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/ दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं आयोग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ ।

पासपोर्ट आकार का अपना हाल का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ एवं इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित करें कि उसका आधा भाग आवेदन पर एवं आधा भाग फोटो पर रहे ।

तिथि :....................................

स्थान :...................................

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

हिन्दी में

अंग्रेजी में